

हैदराबाद मुक्ति दिवस

आपको क्यों पता होना चाहिए?

हाल ही में, भारत सरकार ने 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के साल भर चलने वाले स्मृति उत्सव को मंजूरी दी है।

विवरण में -

- 3 सितंबर को, भारत सरकार ने 17 सितंबर, 2022 से शुरू होने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस की साल भर चलने वाली स्मृति की घोषणा की। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में, संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्घाटन गृह मंत्री अमित द्वाारा किया जाएगा। शाह हैदराबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है।
- साल भर चलने वाला यह स्मरणोत्सव उन सभी को श्रद्धांजलि देगा जिन्होंने इसकी मुक्ति और भारत संघ में इसके विलय के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। विशेष रूप से, हैदराबाद को भारत की स्वतंत्रता के बाद निज़ाम के शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक वर्ष का समय लगा। 17 सितंबर, 1948 को हैदराबाद आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल हो गया।
- अंग्रेजों के खिलाफ रामजी गोंड के संघर्ष सहित संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्षों के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है; कोमाराम भीम की लड़ाई; 1857 में तुर्रेबाज़ खान की वीरता जो हैदराबाद शहर के कोटि में ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर के आवास पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे।
- भारतीय स्वतंत्रता के बाद संघर्ष मुखर हो गया। वंदे मातरम के नारे लगाने वाले लोगों की सहज भागीदारी और संस्थान के भारतीय संघ में विलय की मांग के साथ, संघर्ष ने खुद को एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया।
- हैदराबाद की मुक्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री, श्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत त्वरित और समय पर कार्रवाई के कारण संभव हुई थी।
- निज़ाम के अधीन हैदराबाद राज्य में पूरे वर्तमान तेलंगाना, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र शामिल था जिसमें औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभणी और कलबुर्गी, बेल्लारी रायचूर, यादगीर जिले शामिल थे। वर्तमान कर्नाटक में कोप्पल, विजयनगर और बीदर।
- महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारें आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती हैं।

इतिहास -

- जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और पाकिस्तान का गठन हुआ, तो अंग्रेजों ने शेष रियासतों को या तो संघ में विलय करने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। भारतीय संघ के भीतर सबसे बड़ी रियासतों में से एक हैदराबाद थी, जो एक मुस्लिम निज़ाम द्वारा शासित हिंदू-बहुल क्षेत्र था।
- हैदराबाद के निज़ाम, मीर उस्मान अली खान, इस दुविधा में थे कि उन्हें भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए या स्वतंत्र रहना चाहिए।
- प्रारंभ में निज़ाम ने ब्रिटिश सरकार से हैदराबाद को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के तहत एक स्वतंत्र राजशाही का दर्जा देने का आग्रह किया। हालाँकि, अंग्रेज निज़ाम के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे।

- मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (MIM) में उस समय 20,000 रजाकार थे जो निजाम के लिए काम करते थे और चाहते थे कि हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय हो जाए या वह स्वतंत्र रहे। रजाकार निजाम के शासन को बनाए रखने के लिए एक निजी सेना थी।

- हैदराबाद के निजाम के इनकार के बाद, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने उनसे सीधे भारत में विलय करने का आग्रह किया। लेकिन निजाम ने पटेल के अनुरोध को खारिज करते हुए 15 अगस्त, 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया।

- भारत के केंद्र में स्थित हैदराबाद के निजाम के इस कदम से पटेल हैरान रह गए और उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से संपर्क किया। माउंटबेटन ने पटेल को सलाह दी कि भारत को बिना बल प्रयोग के इस चुनौती से निपटना चाहिए। प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की सलाह से सहमत थे और वे भी इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे।

- इसके बाद हैदराबाद के निजाम ने हथियार खरीदने और पाकिस्तान के साथ सहयोग करने की कोशिश करना शुरू कर दिया।

- इस समय तक भारत और हैदराबाद के बीच बातचीत टूट चुकी थी और भारत उस पर हमला करने की तैयारी कर चुका था।

ऑपरेशन पोलो -

- जब भारत के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, तो हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। 13 सितंबर, 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला किया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन पोलो' नाम दिया गया था क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो मैदान थे।

- भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर जनरल जेएन चौधरी ने किया था। पहले और दूसरे दिन भारतीय सेना को थोड़ी परेशानी हुई और फिर विरोधी सेना ने हार मान ली। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। पांच दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद के 807 जवान भी मारे गए।

- इससे इतर भारतीय सेना ने अपने 66 सैनिकों को खो दिया जबकि 97 सैनिक घायल हो गए।

डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम

आपको क्यों पता होना चाहिए?

हाल ही में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया।

विवरण में -

- साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के साथ की गई थी, और ताकि संगठन अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सकें और साइबर हमलों से निपटने के लिए भविष्य के लिए तैयार हो सकें।

- जागरूकता, शिक्षा और सक्षमता के सिद्धांतों पर काम करते हुए, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) ने अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत 22-26 अगस्त, 2022 तक 30वें सीआईएसओ डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में आयोजित, गहन 5-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, अधीनस्थ एजेंसियों/पीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों, तकनीकी सहित नामित सीआईएसओ के लिए डिजाइन किया गया था।

कार्यक्रम का उद्देश्य -

- डीप-डाइव प्रशिक्षण विशेष रूप से साइबर हमलों को व्यापक रूप से और पूरी तरह से समझने के लिए सीआईएसओ को शिक्षित करने और सक्षम करने के उद्देश्य से, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों में आवश्यक एक्सपोजर प्राप्त करने और व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों को बड़े पैमाने पर एक लचीला ई-बुनियादी ढांचे के लाभों का अनुवाद करने के उद्देश्य से है।

- प्रशिक्षण कानूनी प्रावधानों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने, सीआईएसओ को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने और ठोस साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाने में सक्षम बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

महत्व -

- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्योग जगत, शिक्षा जगत और सरकार के विषय वस्तु विशेषज्ञों को साइबर सुरक्षा के प्रमुख डोमेन मुद्दों पर बोलने के लिए एक साथ लाया गया, जैसे, शासन जोखिम और अनुपालन, उभरते साइबर सुरक्षा रुझान, साइबर सुरक्षा उत्पादों का परिदृश्य।

- भारत, नेटवर्क सुरक्षा, साइबर संकट कार्यस्थल योजना, अनुप्रयोग और डेटा सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सुरक्षा परीक्षण और लेखा परीक्षा, आईटी अधिनियम के साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधान और आईएसओ 27001 सहित आईएसएमएस मानक। प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम की परिणति ने एक दूसरे से सीखने में सक्षम बनाया।

पार्श्वभूमि -

- 2018 में शुरू किया गया, CISO प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है।

- जून, 2018 से, इन कार्यक्रमों ने 1,224 वरिष्ठ अधिकारियों को अपने संबंधित संगठनों के डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाया है।

'स्वस्थ सबल भारत'

आपको क्यों पता होना चाहिए?

हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंगदान के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

विवरण में -

• 3 सितंबर, 2022 को भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंगदान के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल तरीके से 'स्वस्थ सबल भारत' सम्मेलन का उद्घाटन किया।

अभियान का उद्देश्य-

• इस अभियान का उद्देश्य लोगों में अंगदान के प्रति उपेक्षा की भावना को दूर करना है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर अंग प्रदान कर उनकी जान बचाई जा सके और वे फिर से सामान्य जीवन जी सकें।

• इस अवसर पर देश भर के 60 से अधिक गैर सरकारी संगठनों और संगठनों ने इस अभियान में शामिल होने का संकल्प लिया।

• कॉन्क्लेव के दर्शकों को अपने संबोधन में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के पीछे नेक काम की सराहना करते हुए शुरुआत की। उन्होंने कहा कि "यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा में है कि हम न केवल अपने बल्कि दूसरों के लाभ के बारे में सोचते हैं, और अंग दान का मुद्दा इस तरह की दृष्टि से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है"।

• केंद्रीय मंत्री ने लोगों को मानवता के लिए अपने अंग दान करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "जनभागीदारी" या लोगों के आंदोलन पर जोर दिया। सरकार या गैर सरकारी संगठनों के लिए अकेले लोगों को अंगदान के लिए राजी करना संभव नहीं है। अभियान को सफल बनाने के लिए जन आंदोलन होना चाहिए।

अंगदान में भारत बहुत पीछे-

• सबसे बड़ी आबादी में से एक होने के बावजूद, भारत अंगदान के मामले में अन्य विकासशील देशों से काफी पीछे है। इसके पीछे मुख्य कारण जन जागरूकता की कमी हो सकती है।

• जैसा कि सी-वोटर सर्वेक्षण से पता चला है, यह पूर्वाग्रह या अंधविश्वास नहीं है जो नागरिकों को अंगदान को एक विकल्प के रूप में मानने से रोकता है।

• यह इस मुद्दे पर विश्वसनीय जानकारी और अज्ञानता की कमी है। सर्वेक्षण में 85 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और आंखों जैसे अंगों को दान करने के बारे में पता नहीं था।

• इस समय सरकार, सामाजिक समूहों और संबंधित नागरिकों को एक साथ आने और देश भर में अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने की तत्काल आवश्यकता है। जिससे कई लोगों की कीमती जान बचाई जा सकती है।

भारत में अंगदान पर रिपोर्ट-

• स्वास्थ्य जगत के महत्वपूर्ण हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों ने भी दिन भर चलने वाले 'स्वस्थ सशक्त भारत' सम्मेलन में भाग लिया।

• इस सत्र के दौरान, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने भारत में अंग दान पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

• उनकी रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में ब्रेन-डेड डोनर की संख्या में तेज गिरावट आई है। 2019 में ब्रेन-डेड डोनर की संख्या 715 थी जो 2020 में घटकर केवल 315 रह गई। हालांकि 2021 में 552 रजिस्ट्रेशन के साथ यह आंकड़ा सुधरा है। 2019 में बनाए गए रिकॉर्ड से अभी भी काफी कम है।

• (NOTTO) द्वारा उजागर की गई सबसे बड़ी चिंता अंग दान दर (ODR) में बहुत धीमी गति से सुधार है। 2013 में यह 0.27 था और आठ वर्षों की अवधि में यह मामूली रूप से बढ़ा, यानी 2021 में ओडीआर 0.4 था।

स्वस्थ सबल भारत अभियान की औपचारिक घोषणा-

• इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ अंगदान पर सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, भाजपा सांसद डॉ हर्षवर्धन, सांसद सुशील मोदी व अन्य, दधीची की उपस्थिति में. 'स्वस्थ मजबूत भारत' अभियान की औपचारिक घोषणा।

इस अवसर पर 22 राज्यों के 60 से अधिक गैर सरकारी संगठन, 20 से अधिक पेशेवर संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण हितधारक उपस्थित थे, साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अंगदान के विषय पर विचार-विमर्श किया।

30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

आपको क्यों पता होना चाहिए?

हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

विवरण में -

• 3 सितंबर, 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

• बैठक में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, लक्षद्वीप के प्रशासक, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव अंतर-राज्य परिषद ने भाग लिया।

• केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बैठक में 26 मुद्दों पर चर्चा हुई, 9 मुद्दों का समाधान किया गया, 17 मुद्दों को आगे विचार के लिए आरक्षित किया गया, जिनमें से 9 मुद्दे आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित थे।

• श्री शाह ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अपने लंबित मुद्दों को निपटाने का आग्रह किया, जिससे न केवल उनके राज्यों के लोगों को लाभ होगा बल्कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होगा।

• उन्होंने परिषद के सभी सदस्य राज्यों से पानी के बंटवारे से संबंधित मुद्दों का एक संयुक्त समाधान खोजने का आह्वान किया। श्री शाह ने कहा कि इसकी स्थायी समिति की 12वीं बैठक में कुल 89 मुद्दों पर चर्चा हुई और इनमें से 63 मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया गया जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उद्देश्य -

क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मुख्य उद्देश्य हैं -

- केंद्र और राज्यों और अंतर-राज्य के बीच आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशना,
- राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना,

- सभी राज्यों को समान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-मंथन के लिए एक मंच प्रदान करना और
- सभी हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए एक सहयोग प्रणाली स्थापित करना।

क्षेत्रीय परिषदों के बारे में-

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है।
- क्षेत्रीय परिषदें एक या एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर संरचित तरीके से चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में उल्लेख है कि देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक क्षेत्रीय परिषद होगी।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:-

- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं;
- केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं;
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं;
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

परिषदों के कार्य -

- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकार निकाय होगी और किसी भी मामले पर चर्चा कर सकती है, जिस पर उस परिषद में निर्दिष्ट कुछ या सभी राज्यों, या उस परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले संघ और कई राज्यों के समान हित हो सकते हैं और केंद्र सरकार को सलाह दे सकते हैं।
- उपरोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक क्षेत्रीय परिषद,

निम्नलिखित के संबंध में विशेष रूप से चर्चा कर सकती है और सिफारिशें कर सकती है:-

- आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित के मामले पर,
- सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों या अंतर-राज्यीय परिवहन से संबंधित किसी भी मामले पर; तथा

इस अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर।